Credit Reporting Privacy Code 2020: Statement of Rights
Translation: Hindi, Version: December 2020

क्रेडिट रिपोर्टिंग प्राइवेसी कोड (Credit Reporting Privacy Code) 2020 के अंतर्गत आपके अधिकारों का सारांश

क्रेडिट रिपोर्टिंग गोपनीयता संहिता (Credit Reporting Privacy Code) 2020, क्रेडिट रिपोर्टर करने व्यवहार में निष्पक्षता, शुद्धता और गोपनीयता को प्रोत्साहन देती है। क्रेडिट रिपोर्टर आपके बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं और उनका विक्रय करते हैं, उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने बिलों का भुगतान न किया हो, या आपको दिवालिया बना दिया गया हो। यह संहिता गोपनीयता अधिनियम (प्राइवेसी एक्ट) 2020 के साथ आपको विशेष अधिकार प्रदान करती है। इनमें से कुछ अधिकारों को इस ब्रोशर (पुस्तिका) में संक्षेप में दिया गया है। आप www.privacy.org.nz पर संहिता का सम्पूर्ण पाठ और गोपनीयता अधिनियम की कड़ी (लिंक) प्राप्त कर सकते हैं।

चेतावनी- यह सारांश है। यदि इस सारांश और संहिता या अधिनियम के किसी प्राविधान के बीच कोई विसंगति पाई जाए, तो संहिता या अधिनियम ही मान्य होगा।

आपके बारे में रिपोर्ट की जा सकने वाली कुछ जानकारी

क्रेडिट रिपोर्टर अपने क्रेडिट रिपोर्टिंग डेटाबेस के लिए कुछ प्रकार की ही जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। वे जिस प्रकार की जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं उसे संहिता में निर्धारित किया गया है। कुछ जानकारियां निम्नलिखित के बारे में हैं:

- आपके ऋण खाते, उनकी क्रेडिट सीमाओं और पुनर्भुगतान (रीपेमेंट) इतिहास समेत,
- जब कभी आप ऋण पुनर्भुगतानों में विफल हुए हों (जब भुगतान में विफलता के कारण कर्ज वसूली की स्थिति आई हो),
- कोई न्यायिक निर्णय, जो आपके विरूद्ध पारित हुआ हो,
- जब कभी आप दिवालिया हुए हों या दिवालियापन के बारे में (ऋण शोधन अक्षमता) समझौता किया हो।

जानकारी रखने और रिपोर्टिंग की समय-सीमाएं हैं

क्रेडिट रिपोर्टर निम्न कर सकते हैं:

- इस जानकारी को आमतौर पर केवल चार से पाँच साल तक प्रकट (खुलासा) कर सकते हैं और इसे एक और साल तक रख सकते हैं
- उन खातों के बंद हो जाने के बाद दो साल तक आपके चालू खातों के बारे में जानकारी प्रकट कर सकते हैं
- पहचान जानकारी को असीमित समय तक रख सकते हैं
- विविध दिवालों के बारे में जानकारी असीमित समय तक रख सकते हैं।

कुछ विशेष व्यक्ति कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए आपकी रिपोर्ट तक पहुँच (एक्सेस) सकते हैं

यह संहिता, आपकी क्रेडिट जानकारी तक पहुँच सकने वाले लोगों को सीमित करती है। इनमें प्राय: क्रेडिट देने वाले होंगे जो क्रेडिट के लिए आपके आवेदन पर विचार कर रहे हों। सिर्फ कुछ सीमित परिस्थितियों में, यह जानकारी निम्न को उपलब्ध कराई जा सकेगी:

- प्रत्याशित (भावी) मकान मालिक, जिसने आपको किराएदारी की पेशकश की हो
- भावी नियोक्ता, जिसने आपको नौकरी की पेशकश की हो, यदि नौकरी में पर्याप्त वित्तीय जोखिम शामिल है
- भावी बीमाकर्ता, जो आपकी मॉर्गेज (रहन) का बीमा करने में शामिल हों
- आपके विरूद्ध किसी कर्जे की वसूली कार्यवाही करने वाले ऋण वसूलीकर्ता
- खुफिया तथा सुरक्षा एजेंसी, जो सुरक्षा जांच मूल्यांकन आयोजित कर रही हो
- न्यायिक कार्यवाहियों में संलग्न व्यक्ति
- अन्य कानून के अंतर्गत काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ निश्चित एजेंसियां

आपकी क्रेडिट जानकारी, किसी क्रेडिट रिपोर्टर के द्वारा प्रत्यक्ष मार्केटिंग उद्देश्यों से नहीं प्रकट की जा सकेगी।

ज्यादातर परिस्थितियों में आपकी सहमति जरूरी है

ज्यादातर क्रेडिट जांच, केवल आपकी सहमति से ही की जा सकेगी। यह क्रेडिट प्रदाताओं, भावी मकान मालिकों और भावी नियोक्ताओं पर लागू होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ निश्चित एजेंसियों, न्यायिक कार्यवाही में संलग्न लोगों और ऋण इकट्ठा करने वालों की पहुँच के लिए आपकी सहमति आवश्यक नहीं होगी। क्रेडिट रिपोर्टर, आपकी जानकारी तक की गई प्रत्येक पहुँच को दर्ज अवश्य करेंगे और आपके अनुरोध करने पर आपको यह जानकारी सामान्य रूप से प्रदान करेंगे।

यदि आपको लगता है कि आप किसी जालसाजी के शिकार हुए हैं, तो आप क्रेडिट रिपोर्टर से अपनी क्रेडिट जानकारी को दबाने (गुप्त रखने) का अनुरोध कर सकते हैं

यदि आपको विश्वास है कि आप किसी जालसाजी के शिकार हुए हैं जिसमें पहचान संबंधी जालसाजी भी शामिल है, तो आप क्रेडिट रिपोर्टर से अपनी क्रेडिट जानकारी को 10 कार्यदिवसों तक दबाए रखने का अनुरोध कर सकते हैं। आपकी क्रेडिट जानकारी दबाए जाने के समय, क्रेडिट रिपोर्टर इसे सामान्य तरीके से प्रकट नहीं कर सकता।

यदि क्रेडिट प्रदाता, क्रेडिट रिपोर्टर से आपकी जानकारी देने का अनुरोध करे, तो क्रेडिट रिपोर्टर उन्हें बता सकता है कि आपकी क्रेडिट जानकारी दबाई गई है। क्रेडिट प्रदाता को बताया जाएगा कि हो सकता है कि आप जालसाजी के शिकार हुए हों और आपके नाम से क्रेडिट के लिए किसी और ने आवेदन किया हो सकता है।

यदि आप अपनी क्रेडिट जानकारी दबाए जाने के दौरान ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो आप किसी विशेष क्रेडिट प्रदाता के सामने जानकारी का खुलासा (रिलीज) करने के लिए क्रेडिट रिपोर्टर से अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए सहमति देने से पहले क्रेडिट रिपोर्टर आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए सावधानीपूर्वक कदम अवश्य उठाएगा।

यदि आपके विचार में जालसाजी जारी है, तो आप प्रतिबंध को 10 कार्यदिवसों से आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्टर आपको यह सिद्ध करने का अवसर अवश्य देगा कि आप जालसाजी के शिकार हैं। यदि उनके विचार में आप जालसाजी के शिकार नहीं हैं तो वे आपकी जानकारी को दबाने से मना कर सकते हैं।

आप पता लगा सकते हैं कि आपके बारे में क्या जानकारी रखी गई है

आप क्या अनुरोध कर सकते हैं

आप क्रेडिट रिपोर्टर से उस क्रेडिट जानकारी की एक प्रति मांगने के अधिकारी हैं, जो उन्होंने आपके बारे में रखी है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में केवल अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जानकारी या आपके बारे में रखी गई समस्त जानकारी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट तक पहुँच रखने वाले लोगों की पूरी सूची जैसी चीजें, उस अतिरिक्त जानकारी में आती हैं जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं है। यदि क्रेडिट रिपोर्टर ने आपके बारे में कोई क्रेडिट स्कोर बनाया है, तो आपको इस स्कोर का विवरण मांगने का अधिकार है।

जानकारी प्राप्त करना

क्रेडिट रिपोर्टर ज्यादा विलम्ब किए बिना आपको जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएंगे। यदि आप इस जानकारी को तुरंत चाहते हैं (तीन कार्यदिवसों के अंदर) तो आपको एक उचित शुल्क – अधिकतम $10 (डॉलर) देना होगा-नहीं तो सूचना के लिए आपको भुगतान नहीं करना होगा। क्रेडिट रिपोर्टर, निजी पहुँच का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान अवश्य सत्यापित करेगा। इसके अंतर्गत आपसे कुछ निश्चित पहचान विवरण मॉगे जा सकते हैं, हालांकि आपकी सहमति के बिना इन्हें क्रेडिट रिपोर्टर के डेटाबेस में शामिल नहीं किया जाएगा।

क्रेडिट रिपोर्टर के पास असत्य जानकारी होने पर आप चुनौती दे सकते हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट रिपोर्टरों को उचित कदम अवश्य उठाने होंगे कि उनके पास मौजूद जानकारी सही है, और किन्हीं त्रुटियों का पता चलते ही उन्हें तत्काल सही करेंगे। यदि आप किसी क्रेडिट रिपोर्टर को बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट में कोई असत्यता है, तो उपयुक्त पाए जाने पर क्रेडिट रिपोर्टर इसे सही करने के लिए अवश्य कदम उठाएगा। वे आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को सामान्यत: स्रोत से मिलान करके जाँच करेंगे जैसे कि किसी क्रेडिट प्रदाता द्वारा दी गई भुगतान चूक की जानकारी। इस जाँच प्रक्रिया के दौरान, क्रेडिट रिपोर्टर को यह दर्शाने के लिए आपकी रिपोर्ट पर लिख कर यह संकेत करना (फ़्लैग करना) होगा कि आपने उस मुद्दे (आइटम) प्रश्न उठाया है।

असत्य जानकारी के बारे में क्रेडिट रिपोर्टर को कब तक निर्णय जरूर लेना होगा

क्रेडिट रिपोर्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह तय करना होगा कि आपके द्वारा अनुरोध किए गए संशोधन किए जाएंगे या जानकारी की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। यदि क्रेडिट रिपोर्टर को कोई निर्णय लेने में 20 कार्यदिवसों से अधिक समय की जरूरत है, तो वे इसके बारे में आपको इसके कारण सहित अवश्य अवगत कराएंगे।

आपके द्वारा अनुरोध किए गए संशोधन न किए जाने पर क्या होगा

यदि आपके द्वारा अनुरोध किया गया संशोधन नहीं किया गया है तो आपको इसका कारण अवश्य बताया जाएगा। आप, अपने अनुरोध की टिप्पणी अपनी फाइल में जोड़े जाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। यह टिप्पणी आगामी रिपोर्टों में सम्मिलित की जाएगी।

संशोधन कर दिए जाने पर क्या होगा

संशोधन कर दिए जाने पर, क्रेडिट रिपोर्टर हाल ही में आपकी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करने वाले हर किसी को इसकी जानकारी देगा। क्रेडिट रिपोर्टर आपको अवश्य बताएगा कि उन्होंने क्या किया है और संशोधित रिपोर्ट की एक प्रति आपको सौंपेगा।

कई बार संशोधन उपयुक्त नहीं हो सकते हैं

कोई क्रेडिट रिपोर्ट, आपके क्रेडिट इतिहास का विवरण देती है, न कि केवल आपके वर्तमान ऋणों के बारे में। कुछ निश्चित जानकारी तब तक लगातार रिपोर्ट की जा सकती है जब तक कि बाद में हुए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए यह अद्यतन (अपडेट) की गयी हो। इसमें पिछले दिवालिएपन या भुगतान में चूक (डिफ़ॉल्ट) जैसी चीजें शामिल हैं जिनका भुगतान पूर्ण रूप से किया गया है। इस तरह, रिपोर्ट में उन पिछली घटनाओं का सटीक विवरण बना बना रहेगा।

यदि आपके विचार में संहिता का उल्लंघन किया गया है, तो आपको शिकायत करने का अधिकार है

यदि आपके विचार में किसी क्रेडिट रिपोर्टर ने संहिता का उल्लंघन किया है, तो आपको पहले सीधे क्रेडिट रिपोर्टर से सम्पर्क करना चाहिए। प्रत्येक क्रेडिट रिपोर्टर को उनकी अपनी शिकायत प्रक्रिया अवश्य बनानी होगी और एक व्यक्ति रखना होगा जिसे शिकायतों के निष्पक्ष, सरल और कारगर समाधान में मदद के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होगी।

यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है, तो आप गोपनीयता आयुक्त (प्राइवेसी कमिश्नर) के यहां शिकायत कर सकते हैं जिन्हें मामले की जाँच करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। निबटारा न हो सकने वाले कुछ मामलों को मानव अधिकार पुनरीक्षण अधिकरण (ह्यूमन राइट्स रिव्यू ट्रिब्युनल) के यहां ले जाया जा सकता है।

संहिता के अंतर्गत आपके अधिकारों के अतिरिक्त, आप क्रेडिट रिपोर्टर को न्यायालय (कोर्ट) में भी ले जा सकते हैं। यदि आपके विचार में आपको बदनाम किया जा रहा हो या आपकी उपेक्षा की जा रही हो तो आप यह विकल्प चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, किसी वकील या सामुदायिक कानून केंद्र (कम्युनिटी लॉ सेंटर) से संपर्क करें।

संपकर जानकारी:

Credit reporter: illion
Freephone line: *0800 362 222*
Email address: *pacnz@illion.co.nz*
Web address: *www.illion.co.nz*
Postal address: *PO Box 9589 Newmarket Auckland 1031*

गोपनीयता आयुक्त (प्राइवेसी कमिश्नर) का कायारलय:

पूछताछ के लिए फोन लाइन: 0800 803 909

ईमेल पता: enquiries@privacy.org.nz

वेब पता: www.privacy.org.nz

डाक पता: पो. बॉ. PO Box 10094, (Wellington) 6143

Note: This is an official translation released by the Privacy Commissioner pursuant to clause 7(4) of the Credit Reporting Privacy Code 2020. In the event of a discrepancy between this translation and the English language version set out in schedule 5 of the Code, the English language version should be preferred.